न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

प्रकाश चन्द्र शर्मा I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03/2021	2021/4	19.03.2021	28.02.2022

श्रीमती कला बाई पत्नि हरलाल गुर्जर निवासी नकोर तहसील व जिला प्रतापगढ़

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. श्रीमती कंचन बाई पतिनी नराण उर्फ नारायण निवासी नकोर
2. श्री सुखदेव पिता किशोर गुर्जर निवासी नकोर
3. तहसीलदार प्रतापगढ़

:– रेस्पोडेन्टस

अपील रेवेन्यु अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011

उपस्थिति :–

1. श्री शिवराम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री अशोक राठौर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–: आदेश :– दिनांक :–28.02. 2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011 द्वारा स्वीकृतकर्ता तहसीलदार, प्रतापगढ़ के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नकोर की नवीन खाता संख्या 182 में दर्ज संयुकत खातेदारी भूमियां आराजी संख्या 2099 रकबा 0.58 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2101 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टर भूमियां संयुक्त खातेदारी से दिगर खातेदार श्री मांगीलाल, किशनलाल एवं श्री गौतमलाल पुत्र किशन गुजर निवासी बारावरदा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।

उक्त भूमियों के संबंध में दिगर खातेदारान द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 क्रमांक :– 2010004296 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा उक्त संयुक्त भूमि रकबा में से 1/2 हक हिस्सा अपीलार्थिया को बेचान किया गया था तथा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 क्रमांक :– 2010004295 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा उक्त संयुक्त भूमि रकबा में से 1/2 हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या –1 को बेचान किया गया था।

उक्त पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वक्त अंकन कार्यवाही जरिये नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011 के द्वारा उक्त विक्रित भूमियां 1/2 – 1/2 हक हिस्से से अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम दर्ज किया जाना था किन्तु समस्त भूमि रकबा विवादित नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया गया।

416

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

विपक्षी क्र0 2 के हिस्से की आराजी सही दर्ज की गई किन्तु विपक्षी क्र0

अतः अपील अपीलार्थिया स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011 को अपास्त किया जाकर पंजीकृत विक्रय दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूमियां अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम 1/2 –1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या –1 द्वारा समन लेने से इन्कार तथा बावजुद सूचना लगातार कोई उपस्थित नहीं जिसके चलते अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस अन्तिम एक तरफा अपीलार्थिया सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए पत्रावली में संलग्न पंजीकृत दस्तावेज छाया प्रतियों के अनुसार विवादित नामान्तरकण निरस्त किया जाकर पंजीकृत दस्तावेजों के अनुसार 1/2–1/2 हक हिस्से अधिकार के अनुसार नवीन नामान्तरण की मांग हेतु अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011 से प्रभावित भूमियों राजस्व ग्राम नकोर की खाता संख्या 182 में दर्ज भूमियां आराजी संख्या 2099 रकबा 0.58 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2101 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टर भूमियां संयुक्त खातेदारी से दिगर खातेदार श्री मांगीलाल, किशनलाल एवं श्री गौतमलाल पुत्र किशन गुजर निवासी बारावरदा द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेजों से 1/2–1/2 हक हिस्सा अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –1 को अन्तरित किया गया था जिसके आधार पर उक्त भूमियों का नामान्तरकरण अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के पक्ष में 1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज होना चाहिये था।

अतः अपील अपीलार्थिया मेरिट आधार पर स्वीकृत फरमाई जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 20.01.2011 को अपास्त किया जाता है एवं तहसील प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या –1 द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर अससरेनों कार्यवाही करते हुए नवीनतम नामान्तरकरण पारीत करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ